राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 206/2012/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वृत्त तृतीय, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स सुरभी एन.आर्ट,
वैशाली नगर, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी विभाग की ओर से

श्री विनय गोयल,
अभिभाषक। ..... प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 20/04/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 03/आरवैट/AE-III/11–12 में पारित आदेश दिनांक 20.07.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन तृतीय, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.04.2010 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 25, 55 व 61 के तहत् आरोपित मांग राशि को आंशिक रूप से अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान घट–द्वितीय, वृत्त तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **"जांच अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 05.10.2009 को किया जाने पर उन्होंने पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने वर्ष 2009–10 में 4 प्रतिशत कर योग्य माल कीमत 20,140/– एवं 14 प्रतिशत कर योग्य माल कीमत 10,39,077/– का उचन्ती में विक्रय करके उन्हें लेखा–पुस्तकों में नहीं दर्शाया है। इस पर जांच अधिकारी ने अभियोग बनाकर पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित कर दी। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश दिनांक 01.04.2010 पारित कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपने आदेश दिनांक 20.07.2011 द्वारा अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उचन्ती बिक्री राशि रूपये 10,59,117/– में से राशि रूपये

लगातार.....2

4,14,419/– पर आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त पारित आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने वर्ष 2009–10 में 4 प्रतिशत कर योग्य माल कीमत 20,140/– एवं 14 प्रतिशत कर योग्य माल कीमत 10,39,077/– का उचन्ती में विक्रय करके उन्हें लेखा–पुस्तकों में नहीं दर्शाया है, जिससे उनकी करापवंचन की मनोभावना को प्रकट करता है। आगे उन्होंने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए एक ही राशि पर दो बार कर का आरोपण किया है। आगे उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किये जाने पर उन्होंने पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने वर्ष 2009–10 में 4 प्रतिशत कर योग्य माल कीमत 20,140/– एवं 14 प्रतिशत कर योग्य माल कीमत 10,39,077/– का उचन्ती बिक्री की है, एवं उक्त बिक्री को उन्होंने लेखा–पुस्तकों में भी नहीं दर्शाया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार बिक्री राशि रूपये 4,14,419/– को प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा लेखा पुस्तकों में नहीं दर्शाया गया है, साथ ही भौतिक स्टॉक लेखा पुस्तकों की तुलना में 6,44,698/– कम है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश में यह कही भी प्रमाणित नहीं किया गया है कि उनके द्वारा दर्शायी गई उचन्ती बिक्री 4,14,419/– एवं कम भौतिक स्टॉक 6,44,698/– पृथक–पृथक है। अतः उचन्ती बिक्री वही बिक्री है, जो कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के भौतिक स्टॉक में कम पायी गई है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एक ही राशि पर दो बार कर का आरोपण किया गया है, जो कि न्यायहित में अविधिक प्रतीत होता है। प्रस्तुत अपील में कोई नया बिन्दु सामने नहीं आया है।

7. इस प्रकार अपीलीय अधिकारी का आदेश स्पष्ट है। विस्तृत कारणों सहित दिया गया है, जो उचित है। अतः उसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा जाता है।

7. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य